भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2895

(दिनांक 06.08.2025 को उत्तर देने के लिए)

ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में डीटीएच और अन्य संचार सुविधाएं

2895. श्री गणेश सिंहः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में केबल टीवी, डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) और अन्य संचार सुविधाओं तक पहुँच में आने वाली प्रमुख बाधाओं से अवगत है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा इन क्षेत्रों के लिए कोई विशेष पहल या राजसहायता योजना प्रस्तावित है;

(ग) क्या सरकार ने नागरिकों से प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएम) या किसी अन्य डिजिटल माध्यम पर कोई विशिष्ट निगरानी तंत्र विकसित किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो पिछले दो वर्षों के दौरान राज्यवार और जिलावार, विशेष रूप से सतना में प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) और (ख): सरकार ने ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में केबल टीवी, डीटीएच और अन्य संचार सेवाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें शामिल हैं:

- सामुदायिक सहभागिता, स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने और सूचना के प्रसार के लिए भारत भर में (2019 से) 264 सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

- प्रसार भारती बिना किसी सदस्यता शुल्क के डीडी फ्री डिश सेवा प्रदान करता है, जो 2019 में 104 चैनलों से बढ़कर वर्तमान में 510 चैनलों तक पहुंच गई है।

- ओटीटी प्लेटफॉर्म "वेव्स" को 2024 में लॉन्च किया गया, जो एक बहु-विधा डिजिटल स्ट्रीमिंग एग्रीगेटर है, जो दूरदर्शन और आकाशवाणी नेटवर्क चैनलों को इन्टीग्रेट करता है।

ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में केबल टीवी, डीटीएच और संचार सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम यथा, प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी) स्कीम के तहत केंद्रित उपायों को भी लागू कर रही है:

- सिग्नल की गुणवत्ता और कवरेज में सुधार के लिए ट्रांसमीटरों, स्टूडियो और डीटीएच प्लेटफॉर्मों सहित प्रसारण अवसंरचना का आधुनिकीकरण।

- डीडी फ्री डिश के माध्यम से 510 फ्री-टू-एयर चैनल (2019 में 104 से बढ़कर), जिससे वंचित आबादी के लिए लागत संबंधी बाधाएं दूर हुईं।

- क्षेत्र-विशिष्ट और सुलभ सामग्री विकसित करने, समावेशिता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए ₹450 करोड़ (2021-26) निर्धारित किए गए हैं।

इससे ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में समाचार, सूचना और शैक्षिक कार्यक्रमों तक व्यापक पहुँच संभव हुई है।

(ग) और (घ): सतना जिले से प्राप्त शिकायतों का समाधान सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के अंतर्निहित दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया।

*****